रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1974/चैत्र 6, 1896

No. 153] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1974/CHAITRA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 27th March 1974

S.O. 216(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in the works (including the works connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply) connected with the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said works;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the said works for a period of six months.

[No. F.S-42025/6/74-LRI]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1974

का० आ० 216 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नवेली में संबंधित संकर्मों (जिस में जनता को विद्युत् ऊर्जा के प्रदाय या ऐसे प्रदाय के प्रयोजनों के लिए विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन संचयन प्रेषण में सम्बद्ध संकर्म भी सम्मिलित हैं) में हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी; अतः उक्त संकर्मों में हड़ताल रोकन आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त संकर्मों में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित हड़ताल को छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है, जो तुरन्त प्रभावी होगा ।

[सं० फा० एम-420-25/6/74-एन० आर 1]

वि० प्र० दुबे, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974